कोरोना की जांच में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए : महाराष्ट्र

मुंबई, 13 नवंबर (भाषा)।

कोरोना महामारी का प्रकोप अभी खत्म भी नहीं हुअ है कि जनवरी–फरवरी में इसकी दूसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि वे जांच में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते।

राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से 11 नवंबर को जारी परिपत्र में कहा गया है कि अक्टूबर से महाराष्ट्र में कोविड–19 के मामलों में कमी देखी गई है, लेकिन यूरोप में जो हो रहा है उसके आधार पर अगले साल जनवरी–फरवरी में महामारी की दूसरी लहर आने की आशंका है। इसमें कहा गया है कि विषाणु की दूसरी लहर से कई देश प्रभावित हुए हैं खास तौर से यूरोप, इसलिए कोरोना विषाणु की जांच में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। सभी प्रयोगशालाएं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप काम करेंगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रत्येक दस लाख लोगों पर 140 जांच होनी चाहिए। सरकार की ओर से जारी इस परिपत्र में कहा गया है कि सभी जिलों में एवं नगर निगम के दायरे में कोविड–19 जांच के लिए प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। यह समय की मांग है कि हम कोविड–19 के मरीजों एवं जिन लोगों को सांस लेने में समस्या है, उनके स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए पटाखा मुक्त दीपावली मनाएं। इसमें लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और तनाव न लेने की अपील भी की गई है। महाराष्ट्र में 12 नवंबर तक कोरोना विषाणु संक्रमण के 17,36,329 मामले सामने आ चुके हैं और 45,682 की मौत हो चुकी है।

भाजपा 'सेठ जी की पार्टी', सोमैया 'व्यापारी' : राउत

मुंबई, 13 नवंबर (भाषा)।

भूमि सौदे के आरोपों को आत्महत्या मामले से ध्यान हटाने की कोशिश बताया

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एवं दिवंगत अन्वय नाईक के परिवारों के बीच जमीन सौदे के आरोपों पर महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत संवाददाताओं से बातचीत में आपा खो बैठे और उन्होंने भाजपा को 'सेठजी की पार्टी' तथा सोमैया को 'व्यापारी' करार दिया। उन्होंने कहा कि जमीन सौदे के आरोप अलीबाग के इंटीरियर डिजाइनर के आत्महत्या मामले की जांच की दिशा बदलने का प्रयास है।

राउत ने भाजपा पर निशाना साधा और पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की उनके दावे को लेकर आलोचना की। सोमैया ने बुधवार को दोनों परिवारों के बीच जमीन के सौदे का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी।

राउत ने कहा, 'सेठजी की पार्टी के प्रवक्ता उस मराठी महिला के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं हैं जो विधवा हो गई (उनका इशारा इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाईक की पत्नी की तरफ था)।' उन्होंने शिवसेना के पूर्व सहयोगी दल पर हमला तेज करते हुए कहा, 'वे और उनकी बेटी न्याय की गुहार लगा रही हैं और जब हम उन्हें न्याय दिलाना सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये लोग आत्महत्या की जांच की दिशा मोड़ने के लिए आरोप लगा रहे हैं। यह एक गंभीर मसला है।' राज्यसभा सदस्य ने दावा किया कि 2014 में दोनों परिवारों के बीच कानूनी तौर पर भूमि का सौदा हुआ था। उन्होंने कहा, 'एक मराठी व्यक्ति ने सौदा किया है तो उन्हें (सोमैया) कोई समस्या है।'

राउत ने जोर देकर कहा कि शिवसेना की अगुआई वाली एमवीए सरकार अपना कार्यकाल (2024 तक) पूरा करेगी। उन्होंने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 25 साल तक सत्ता से बाहर बैठे। हमारा रुख नाईक के परिवार को न्याय दिलाना तथा आत्महत्या के लिए उकसाने वालों को कानून सम्मत सजा दिलाना है।'

शिवसेना नेता ने टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि सेठजी की पार्टी आरोपी को बचाना चाहती है। गोस्वामी एवं दो अन्य के खिलाफ नाईक एवं उनकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। राउत ने कहा, 'वे (सोमैया) जिन 21 भूमि सौदों के बारे में बातचीत कर रहे हैं वह क्या है। उनमें से पांच भी दिखाइए। केवल एक सौदा हुआ था और वह भी पूरी तरह कानूनी तरीके से।

प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की मांग के बारे में पूछे जाने पर राउत ने हमला बोलते हुए कहा कि केवल प्रवर्तन निदेशालय ही क्यों.....सीबीआइ भी है। आप इंटरपोल जाइए, एफबीआइ, केजीबी, इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र से जांच कराइए। सोमैया ने उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि एवं अन्वय नाईक के बीच जमीन के कई सौदों के आरोप लगाए थे। नाईक ने पांच मई 2018 को आत्महत्या कर ली थी।

तमिलनाडु के पुलिस अधिकारियों के फर्जी फेसबुक खाते बनाने वाला गिरफ्तार

चेन्नई, 13 नवंबर (भाषा)।

तमिलनाडु के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर उनके पहचान वालों को ठगने के आरोपी मास्टरमाइंड और उसके साथी को राजस्थान में उनके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यहां बताया कि आरोपियों को तमिलनाडु लाया गया है।

ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त महेश कुमार अग्रवाल सहित कई आइपीएस अधिकारियों के फर्जी फेसबुक अकाउंट सामने आने के बाद एक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर इस संबंध में 15 सितंबर को मामला दर्ज किया गया। अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय अपराध शाखा की साइबर अपराध शाखा इकाई की शिकायत की जांच के आधार पर मास्टरमाइंड शकील खान और उसके साथी रवींधर कुमार को राजस्थान के भरतपुर जिले में उनके ठिकाने से गिरफ्तार कर यहां लाया गया है। आयुक्त कार्यालय में उन्होंने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष दल राजस्थान गया था और इस काम के लिए पूरी टीम करीब एक सप्ताह तक वहां रुकी रही।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

एक परिवार एक बैंक

तनावग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंध शाखा
2रा तल, बी–29, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001,
फोन नं. 011–23321444/23715468
ई–मेलः bom1456@mahabank.co.in brmgr1456@mahabank.co.in

प्रधान कार्यालयः लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे–411005

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

[प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम–8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 12.12.2018 जारी कर ऋणधारकों श्री आलोक गर्ग एवं श्रीमती ममता गर्ग तथा गारन्टरों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि बैंक ऑफ महाराष्ट्रा के लिये रु. 33,72,275/– (रुपये तैंतीस लाख बहत्तर हजार दो सौ पचहत्तर मात्र तथा मासिक रेस्ट्स के साथ @ एमसीएलआर + 0.25% अर्थात 9% प्रति वर्ष की दर से उस पर ब्याज के साथ 12.12.2018 से 2% प्रति वर्ष दंड ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। यह सूचना स्पीड पोस्ट/कूरियर/ईमेल द्वारा भेजी गई।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 11 नवम्बर, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऊपर वर्णित राशि के लिये बैंक ऑफ महाराष्ट्रा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक एवं गारन्टरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्रॉसिंग रिपब्लिक, डुण्डाहेरा, एनएच–24, गाजियाबाद–201016 में स्थित अपार्टमेन्ट/फ्लैट नं. 1006, माप 2385 वर्ग फीट, 10वां तल, टावर/ब्लॉक–ए, ''बुलन्द हाइट्स'', ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नं.–6 का इक्विटैबल मार्टगैज।
इस सम्पत्ति में मै. आलोक इन्फ्राबिल्डर्स प्रा.लि. द्वारा प्राप्त की गई रु. 10.00 करोड़ की नगदी साख सीमा का अतिरिक्त प्रभार है।

तिथिः 11.11.2020 (आलोक दास) उप महा प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः दिल्ली (सरफैसी अधिनियम, 2002)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

एक परिवार एक बैंक

तनावग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंध शाखा
2रा तल, बी–29, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001,
फोन नं. 011–23321444/23715468
ई–मेलः bom1456@mahabank.co.in brmgr1456@mahabank.co.in

प्रधान कार्यालयः लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे–411005

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

[प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम–8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 26.05.2017 (बैंक ऑफ महाराष्ट्र) तथा 8.9.2017 (ऑरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स) जारी कर ऋणधारकों श्री कालका देवी एजुकेशन ट्रस्ट तथा गारन्टरों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि बैंक ऑफ महाराष्ट्रा के लिये रु. 66800391/– (रुपये छः करोड़ अड़सठ लाख तीन सौ इक्यानवे मात्र) तथा 2% की दर से दंड ब्याज के साथ उस पर 13.70% प्रति वर्ष के ब्याज तथा ऑरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स के लिये रु. 162675269.02 (रुपये सोलह करोड़ छब्बीस लाख पचहत्तर हजार दो सौ उन्हत्तर तथा पैसे दो मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। यह सूचना स्पीड पोस्ट/कूरियर/ईमेल द्वारा भेजी गई।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 10 नवम्बर, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऊपर वर्णित राशि के लिये बैंक ऑफ महाराष्ट्रा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक एवं गारन्टरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

बैंक के पास गिरवी रखी गई तथा बैंक द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरणः डीडीए बिल्डिंग फ्लैट, फ्लैट नं. 229, एसएफएस, पॉकेट–सी, शेख सराय, फेज–I, नई दिल्ली–110017

तिथिः 10.11.2020 (आलोक दास) उप महा प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः दिल्ली (सरफैसी अधिनियम, 2002)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

एक परिवार एक बैंक

तनावग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंध शाखा
2रा तल, बी–29, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001,
फोन नं. 011–23321444/23715468
ई–मेलः bom1456@mahabank.co.in brmgr1456@mahabank.co.in

प्रधान कार्यालयः लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे–411005

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

[प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम–8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 12.12.2018 जारी कर ऋणधारकों श्री आलोक गर्ग एवं श्रीमती ममता गर्ग तथा गारन्टरों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि बैंक ऑफ महाराष्ट्रा के लिये रु. 61,63,288/– (रुपये इकसठ लाख तिड़ेसठ हजार दो सौ अठासी मात्र तथा मासिक रेस्ट्स के साथ @ एमसीएलआर एक वर्ष (8.75%) + 0.25% अर्थात् 9% प्रति वर्ष की दर से उस पर ब्याज के साथ 12.12.2018 से 2% प्रति वर्ष दंड ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। यह सूचना स्पीड पोस्ट/कूरियर/ईमेल द्वारा भेजी गई।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 11 नवम्बर, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऊपर वर्णित राशि के लिये बैंक ऑफ महाराष्ट्रा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक एवं गारन्टरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

टाउनशिप क्रॉसिंग रिपब्लिक, डुण्डाहेरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नं. 7 पर स्थित आवासीय डुप्लेक्स अपार्टमेन्ट नं. 29 जिसमें एक ड्राइंग रूम, एक डायनिंग रूम, टायलेट के साथ एक बेडरूम, एक पाउडर रूम तथा भूतल पर एक किचन, एक लॉबी, एटैच्ड टॉयलेट के साथ तीन बेडरूम, टैरेस एवं मम्टी, प्रथम तल पर शामिल है, सुपर एरिया 3325 वर्ग फीट (कवर्ड एरिया 2885 वर्ग फीट) लगभग है, का इक्विटैबल मार्टगैज, इस सम्पत्ति पर मै. आलोक इन्फ्राबिल्डर्स प्रा.लि., द्वारा प्राप्त रु. 1000 करोड़ की नगदी साख सीमा का अतिरिक्त प्रभार है।

तिथिः 11.11.2020 (आलोक दास) उप महा प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः दिल्ली (सरफैसी अधिनियम, 2002)

APOORVA LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN : L74899DL1983PLC016713; Ph. No: 0120-;4372849 E-mail : apporvaleasing@gmail.com; Website: www.apoorvaleasingfinance.com
Regd. Off: 13/331, Geeta Colony, Third Floor, Delhi-110031
Corp. Off:C-1/9, Sec-31, Noida, Uttar Pradesh-201301

Extract of Standalone and consolidated Financial Results for the Quarter and half year ended on 30th Sep., 2020

Amount in Lacs

Particulars	Standalone			Consolidated		
	Quarter Ended on 30.09.2020	Year to date on 30.09.2020	Quarter Ended on 30.09.2019	Quarter Ended on 30.09.2020	Year to date on 30.09.2020	Quarter Ended on 30.09.2019
	Unudited	Unudited	Unudited	Unudited	Unudited	Unudited
Total Income from Operations (net)	285.45	350.79	1,240.87	292.09	358.41	1,240.33
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	248.00	269.36	133.91	254.52	276.63	133.94
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	248.00	269.36	133.91	254.52	276.63	133.94
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	187.35	203.33	96.66	191.91	208.42	96.54
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	324.52	414.71	138.17	327.29	417.80	138.69
Paid-up equity share capital [Face value Rs. 10 per share]	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
Basic:	0.94	1.02	0.48	0.96	1.04	0.48
Diluted:	0.94	1.02	0.48	0.96	1.04	0.48

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the three months ended and year ended on 30th September ,2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and consolidated Financial Results for the three months ended on 30th September, 2020 are available on the Stock Exchange website **www.bseindia.in** and the Company's website **www.apoorvaleasingfinance.com**.

2 # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

Apoorva Leasing Finance and Investment Company Limited
Sd/-
Atul Singh Tyagi
Managing Director
DIN: 01335008

Date: 13.11.2020
Place: Delhi

सुप्रीम कमर्शियल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : वाई-4-ए-सी, लोहा मण्डी, नारायणा, नई दिल्ली-110028, Ph.: 9350150766,
EmailId: supremecommercial@gmail.com, CIN: L5I909DL1983PLC016724

30, सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के अनअंकेक्षित स्टैंडअलोन एवं संगठित वित्तीय परिणाम (रू० लाखों में)

विवरण	स्टैंडअलोन			संगठित		
	समाप्त तिमाही (30/09/2020) (30/06/2020)	पूर्ववर्ती समाप्त तीन महीने समाप्त (30/09/2020)	अर्धवार्षिक से तिथि तक वर्तमान आकड़े (30/09/2020)	समाप्त तिमाही (30/06/2020)	पूर्ववर्ती समाप्त तीन महीने period ended	अर्धवार्षिक से तिथि तक वर्तमान आकड़े समाप्त (30/09/2020)
	(अनअंकेक्षित)	((अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)
संचालन से कुल आय (नेट)	76.798	49.050	125.849	194.165	121.459	315.624
अवधि के लिए नेट लाभ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों) से पहले)	2.819	1.268	4.087	4.977	1.830	6.808
अवधि के लिए नेट लाभ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	2.819	1.268	4.087	4.977	1.830	6.808
अवधि के लिए नेट लाभ (हानि) कर के बाद (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	2.819	1.268	4.087	4.064	1.628	5.692
अवधि के लिए कुल व्यापक आय अवधि के लिए लाभ (हानि) शामिल (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	2.819	1.268	4.087	4.064	1.628	5.692
इक्वीटी शेयर कैपीटल	53.5749	53.5749	53.5749	53.5749	53.5749	53.5749
रिजर्व ((रिवैल्यूवेसन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-
प्रति शेयर आय (रू० 10/ प्रत्येक) संचालन जारी एवं बंद करने के लिए						
मूल :	0.05	0.02	0.07	0.08	0.30	0.11
तरल :	0.05	0.02	0.07	0.08	0.30	0.11

क. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई एवं निदेशक मंडल ने उनकी 13 नवतम्बर, 2020 की बैठक में अनुमोदित किये गये।

ख. सेबी (सूची एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन, 2015 के नियमन, 33 के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के उपरोक्त उद्धरित परिणामों का विस्तारित प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्जों में फाइल किये गये। 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के पूर्ण प्रारूप परिणाम स्टॉक एक्सचेन्ज की वेवसाइट www.msei.in एवं कम्पनी की वेवसाइट (www.supremecommercial.co.in) पर उपलब्ध हैं।

कृते सुप्रीम कमर्शियल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड
हस्ता०/–
(सीता राम गुप्ता)
निदेशक
DIN: 00053970

स्थान : दिल्ली
तिथि: 13.11.2020

Indiabulls REAL ESTATE

Indiabulls Real Estate Limited

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30 September 2020

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	3 months ended 30 September 2020 (Unaudited)	Year to date figures for current year period ended 30 September 2020 (Unaudited)	3 months ended 30 September 2019 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	5,070.23	14,573.95	1,10,190.23
2	Net (Loss) / Profit for the period (before Tax, Minority Interest and Share of Profit / (Loss) of Associate, Exceptional and/or Extraordinary items)	(7,782.05)	(16,879.92)	36,889.35
3	Net (Loss) / Profit for the period before Tax, Minority Interest and Share of Profit / (Loss) of Associate (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(7,782.05)	(16,879.92)	36,889.35
4	Net (Loss) / Profit for the period after Tax, Minority Interest and Share of Profit / (Loss) of Associate (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(7,613.84)	(17,070.32)	30,116.89
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(7,649.25)	(14,450.60)	(17,768.04)
6	Equity Share Capital	9,093.28	9,093.28	9,093.28
7	Earnings per Share (EPS) before extraordinary items *(EPS for the quarters are not annualised)			
	- Basic (Amount in ₹)	(1.67)	(3.75)	6.65
	- Diluted (Amount in ₹)	(1.67)	(3.75)	6.65
	Earnings per Share (EPS) after extraordinary items *(EPS for the quarters are not annualised)			
	- Basic (Amount in ₹)	(1.67)	(3.75)	6.65
	- Diluted (Amount in ₹)	(1.67)	(3.75)	6.65

Notes : 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on 13 November 2020.

2. **Key Standalone Financial Information:** (₹ in Lakhs)

Particulars	3 months ended 30 September 2020 (Unaudited)	Year to date figures for current year period ended 30 September 2020 (Unaudited)	3 months ended 30 September 2019 (Unaudited)
Total Income	1,505.37	2,789.75	4,629.89
(Loss) / Profit before Tax	(3,232.92)	(10,471.93)	(7,332.00)
Net (Loss) / Profit after Tax	(3,259.23)	(10,488.15)	(10,047.80)

3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Company's website (https://indiabullsrealestate.com) and on the website of BSE (https://www.bseindia.com) and NSE (https://www.nseindia.com).

Registered Office: M-62&63, First Floor, Connaught Place, New Delhi- 110 001.
(CIN: L45101DL2006PLC148314)

Place : Gurugram
Date : 13 November 2020

For and on behalf of the Board of Directors

Vishal Damani
Joint Managing Director

ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED

(CIN : L51503DL1985PLC020195)
Regd Off: D-15 Pamposh Enclave, Greater Kailash-1 New Delhi 110048
Phone: +91-11-45210051 | Email: adhbhut.ind@rediffmail.com | Website: www.adhbhutinfrastructure.com

EXTRACT OF THE STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF-YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2020

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Standalone						
		Quarter Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2020 (Audited)	Quarter Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2020 (Audited)	Half Year Ended 30.09.2019 (Audited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
1.	Total Income from operations	2.86	2.05	3.00	4.00	6.00	18.18	12.00
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(6.40)	(6.66)	(8.53)	(13.97)	(14.29)	(26.56)	(17.80)
3.	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(6.40)	(6.66)	(8.53)	(13.97)	(14.29)	(898.32)	(17.80)
4.	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(6.40)	(6.66)	(8.53)	(13.97)	(14.29)	(898.32)	(17.80)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(6.40)	(6.66)	(8.53)	(13.97)	(14.29)	(898.32)	(17.80)
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	—	—	—	—	—	(138.35)	759.97
8.	Earnings per Share(of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations)-							
	(a) Basic	(0.06)	(0.06)	(0.08)	(0.13)	(0.13)	(8.17)	(0.16)
	(b) Diluted	(0.06)	(0.06)	(0.08)	(0.13)	(0.13)	(8.17)	(0.16)

NOTES:

1. The above unaudited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 12th November, 2020 and subsequently have been approved by the Board of Directors of the company at their meeting held on 12th November, 2020.
2. The Statutory Auditors of the Company have been carried out the audit of the said Financial Results for the quarter ended Sep. 30, 2020 in accordance with Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.
3. The Financial Results have been prepared in accordance with the principles and procedures of Indian Accounting Standards ("Ind AS") as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as specified in Section 133 of the Companies Act, 2013
4. As the Company has only one Operating Segment, disclosure under Ind AS 108-Operating Segment is not applicable
5. The Company has opted to submit standalone financial results for the quarter, pursuant to the Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
6. The management has considered the possible impact of disruption caused by restriction imposed to contain COVID-19 spread, on the Company, including of assessment of liquidity and going concern assumption and carrying value of assets, as at 30 Sep 2020. Based on such assumption, it has concluded that none of the assets are likely to be impaired. The company will continue to monitor the future economic conditions and its consequent impact on the business operations, given the nature of the pandemic.
7. Previous year figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary, to confirm to the current Period presentations
8. The Un-Audited Financial Results for the Quarter Sep. 20 is available on the website of the Company https://adhbhutinfrastructure.com and the website of BSE i.e. www.bseindia.com

For **Adhbhut Infrastructure Limited**
Sd/-
ANUBHAV DHAM (Director)
DIN: 02656812

Place: New Delhi
Date: 12.11.2020